3004035/2025/PQ CELL

संसद प्रश्न और उनके उत्तर

शीतकालीन सत्र, 2024

शीतकालीन सत्र, 2024

क्र. सं.	लो.स./ रा.स.	तारीख	स्वीकृत प्रश्न संख्या	अनंतिम प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ सं.
1.	लो.स.	25.11.2024	तारांकित 18	54	वैश्विक बाज़ार में भारतीय कुशल पेशेवर	4
2.	लो.स.	25.11.2024	32		श्रम कल्याण हेतु योजनाएं	8
3.	लो.स.	25.11.2024	71		ईपीएफओ के पास अदावाकृत फंड	12
4.	लो.स.	25.11.2024	72	288	श्रम सुविधा पोर्टल की उपयोगिता और प्रभाव	17
5.	लो.स.	25.11.2024	171		कर्मचारी भविष्य निधि से निधियोंका संवितरण	19
6.	लो.स.	25.11.2024	192		केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	20
7.	लो.स.	25.11.2024	194		रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना (ईएलआई)	24
8.	लो.स.	02.12.2024	945	2272	ईपीएफओ की आईटी प्रणाली	25
9.	लो.स.	02.12.2024	997	2480	ईपीएफओ द्वारा निवेश	27
10	लो.स.	02.12.2024	1107	2455	भविष्य निधि में अंशदान	29
11	लो.स.	09.12.2024	तारांकित 182	5212	पीएम-इंटर्नशिप योजना के तहत रोजगारसंबद्ध प्रोत्साहन	32
12	लो.स.	09.12.2024	2132 (MoF)		कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत पेंशन में वृद्धि	34
13	लो.स.	09.12.2024	2192	5835	केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस)	36
14	लो.स.	09.12.2024	2211	5912	सामाजिक सुरक्षा कवरेज	38
15	रा.स.	12.12.2024	2008	S3682	रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर	39
16	रा.स.	12.12.2024	2014	U2104	देश में श्रम विधियों का कार्यान्वयन	41
17	रा.स.	12.12.2024	2015	U1951	कर्मचारी पेंशन योजनाएँ	42
18	रा.स.	12.12.2024	2016	U1884	स्वैच्छिक भविष्य निधि (वीपीएफ) अंशदान की अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए कदम	43
19	रा.स.	12.12.2024	2018	3569	पुडुचेरी में कार्यान्वित की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)	44
20	रा.स.	12.12.2024	2019	S4518	कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य	46
21	रा.स.	12.12.2024	2022	S4566	ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन	48
22	लो.स.	16.12.2024	Starred 297	8543	ईपीएफओ के नए अंशदाताओं की संख्या में गिरावट	50
23	लो.स.	16.12.2024	3278		ईपीएफओ के सेवानिवृत सदस्यों को पेंशन संबंधी लाभ	52

24.	**लो.स.**	16.12.2024	3283		**ईएसआईसी द्वारा सामाजिक सुरक्षा लाभ**	53
25	**लो.स.**	16.12.2024	3295	8879	**श्रम कल्याण योजनाओं के लिए धन**	56
26	**लो.स.**	16.12.2024	3327	9017	**कर्मचारी भविष्य निधि और एनपीएस**	60
27	**लो.स.**	16.12.2024	3342	9098	**ईपीएस-95 के अंतर्गत पेंशन**	62
28	**लो.स.**	16.12.2024	3369	9255	**रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना**	63
29	**लो.स.**	16.12.2024	3373	6271	**कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का संशोधन**	65
30	**लो.स.**	16.12.2024	3374	6391	**चाय बागानों के मालिकों द्वारा ईपीएफ योगदान जमा न करना**	67
31	**लो.स.**	16.12.2024	3375	6682	**ईपीएस, 1995**	69
32	**लो.स.**	16.12.2024	3410	8813	**समय पर पेंशन भुगतान के आदेश के मामले**	71
33	**रा.स.**	17.12.2024	2486	s612	**आत्मनिर्भर भारत अभियान**	72
34	**रा.स.**	19.12.2024	2797	S5432	**निष्क्रिय ईपीएफओ खाते**	75
35	**रा.स.**	19.12.2024	2813	2511	**आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना**	76
36	**रा.स.**	19.12.2024	2814	4567	**श्रम संहिता का कार्यान्वयन**	77

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 18
उत्तर देने की तारीख 25 नवंबर, 2024
सोमवार, 4 अग्रहायण 1946 (शक)

वैश्विक बाज़ार में भारतीय कुशल पेशेवर

*18. श्री संजय हरिभाऊ जाधव: श्री नारायण तातू राणे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वैश्विक बाजार में भारतीय कुशल पेशेवरों की हिस्सेदारी लगातार घट रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समीक्षा की है तथा तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) वैश्विक कार्यबल में देश के कुशल पेशेवरों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्योरा क्या है;

(घ) देश की जनसंख्या के संबंध में कौशल के आनुपातिक अंतर की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का वैश्विक बाजार में भारतीय कार्यबल के लिए रोजगार के गैर-पारंपरिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) समाज में वंचित वर्ग के लोगों के लिए रोजगार सृजित करने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

वैश्विक बाजार में कौशल पेशेवरों के संबंध में श्री संजय हरिभाऊ जाधव और श्री नारायण तातू राणे द्वारा दिनांक 25.11.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *18 के भाग (क) से (च) के उत्तर के संदर्भ में विवरण

(क) विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह डेटा केवल उन भारतीय कामगारों के संबंध में रखा जाता है जिनके पास उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट है, जो ईसीआर श्रेणी के किसी भी देश में ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से विदेशी रोजगार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ईसीआर पासपोर्ट धारक आम तौर पर अकुशल या अर्ध-कुशल कामगार होते हैं। ऐसे कामगारों को दी गई उत्प्रवास मंजूरी (ईसी) वास्तव में पिछले 3 वर्षों के दौरान बढ़ी है। पिछले 3 वर्षों के दौरान दी गई ईसी का डेटा नीचे तालिका 1 में दिखाया गया है।

तालिका 1: पिछले 3 वर्षों के दौरान ईसीआर पासपोर्ट वाले श्रमिकों को दी गई उत्प्रवास मंजूरी (ईसी)

वर्ष	प्रदान की गई उत्प्रवास मंजूरी की संख्या
2023	3,98,317
2022	3,73,425
2021	1,32,675

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार भारतीय श्रमिकों के साथ-साथ छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, व्यापारियों आदि की वैश्विक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार गंतव्य देशों के साथ प्रवास और गतिशीलता भागीदारी, श्रम गतिशीलता और श्रम कल्याण समझौते, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण जैसे विविध समझौता ज्ञापनों/समझौतों के माध्यम से भारतीय कार्यबल के लिए गतिशीलता को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है, जो कानूनी प्रवास के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करते हैं। ये समझौते/समझौता ज्ञापन भारतीय श्रमिकों के लिए वैश्विक रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ-साथ उनके श्रम अधिकारों की रक्षा, अनियमित प्रवास को रोकने और कौशल विकास का समर्थन करने का प्रयास करते हैं। प्रवास और गतिशीलता भागीदारी पर समझौते/समझौता ज्ञापन फ्रांस, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली और डेनमार्क के साथ हस्ताक्षरित किए गए हैं। जापान, पुर्तगाल, मॉरीशस, इजरायल, ताइवान और मलेशिया के साथ श्रम गतिशीलता समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) देश की जनसंख्या के संबंध में कौशल अंतर को पाटने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल उन्नयन और पुनः कौशल प्रदान करने के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष की आयु के निरक्षर, नव-साक्षर और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों तथा 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले लोगों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें दिव्यांगजनों और अन्य योग्य मामलों में उचित आयु में छूट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी कम आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस): यह स्कीम शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं को वृत्तिका के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रशिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर कार्यरत प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस): यह स्कीम देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई कई तरह के व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करना है।

(ङ) भारत सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक कौशल केंद्र बनाना तथा विश्व भर में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विश्वसनीय और उच्च कुशल कार्यबल का स्रोत बनाना है।

विभिन्न क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही उद्योगों की कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है। कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत पाठ्यक्रमों को एसएससी से प्राप्त इनपुट के साथ समय-समय पर अद्यतन किया जाता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में पहचाने गए कौशल अंतराल को पाटा जा सके।

तदनुसार, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के तहत, सरकार ने कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे आधुनिक युग और भविष्य के पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) भी ड्रोन, कृत्रिम मेधा, मेक्ट्रोनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर आदि जैसे 29 नए युग/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माईटी) ने नेसकॉम के साथ संयुक्त रूप से "फ्यूचरस्किल्स प्राइम" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नई/उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कि कृत्रिम मेधा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑगमेंटेड/वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग/3डी प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल एंड मोबाइल, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन में उम्मीदवारों पुनर्कौशल प्रदान करना/कौशलोन्नयन करना है।

(च) रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि जैसे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि जैसी विभिन्न रोजगार सृजन स्कीमें कार्यान्वित कर रहे हैं, जिनमें रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि भी शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार स्कीमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए 5 स्कीमों और पहलों के प्रधान मंत्री पैकेज की घोषणा की। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार, सरकार को जीवन और दिव्यांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें तैयार करके असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। जीवन और दिव्यांगता कवर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के माध्यम से बीमित हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमएसवी निधि आदि जैसी अन्य स्कीमें भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उनकी पात्रता मानदंडों के आधार पर उपलब्ध हैं।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 32
सोमवार, 25 नवम्बर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक)

श्रम कल्याण हेतु योजनाएं

32. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य सहित श्रम कल्याण के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रत्येक योजना के लिए आवंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार, योजना-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान तमिलनाडु सहित उक्त योजनाओं से लाभान्वित होने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने श्रमिकों के लिए इन योजनाओं को कार्यान्वित करते समय आने वाली चुनौतियों का अध्ययन और प्रलेखन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का देश में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। कार्यान्वित की जा रही प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं:- (i) बीड़ी/सिने/गैर-कोयला खदान कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए श्रमिक कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस) जिसमें तीन घटक अर्थात स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति और आवास शामिल हैं; (ii) नए रोजगार के सृजन और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की बहाली के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई); (iii) मॉडल करियर सेंटर (एमसीसी) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस); (iv) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 जो ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है; (v) प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम), वृद्धावस्था पेंशन के लिए भारत सरकार द्वारा समतुल्य योगदान के साथ एक स्वैच्छिक अंशदायी योजना; (vi) बंधुआ मजदूरों की पहचान और पुनर्वास के लिए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास; (vii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएँ।

जारी...2/-

तमिलनाडु राज्य सहित प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के तहत व्यय और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

राज्य सरकारों के माध्यम से लाभार्थियों की जागरूकता और गतिशीलता जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को राज्य और स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से जागरूकता शिविरों का आयोजन करके, नामांकन को बढ़ावा देने आदि से संबोधित किया जाता है।

*****

3004035/2025/PQ CELL

अनुबंध

"श्रम कल्याण हेतु योजनाएं" के संबंध में श्री डी. एम. कथीर आनंद द्वारा दिनांक 25.11.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना:

वर्ष	**व्यय (करोड़ रुपए में)**
2020-21	319.71
2021-22	324.23
2022-23	269.91
2023-24	162.51
2024-25 (दिनांक 20.11.2024 की स्थिति के अनुसार)	95.18

दिनांक 20.11.2024 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु राज्य में 68,641 लाभार्थियों सहित पीएमएसवाईएम योजना के तहत मानधन पोर्टल पर 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को नामांकित किया गया है।

2. श्रमिक कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस):

वर्ष	**व्यय (करोड़ रुपए में)**
2019-20	53.66
2020-21	86.25
2021-22	64.21
2022-23	80.79
2023-24	81.31

पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल लाभार्थी 96,08,540 हैं, जिनमें से तमिलनाडु क्षेत्र में 15,22,782 लाभार्थी हैं।

3. राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस):

वर्ष	**व्यय (करोड़ रुपए में)**
2019-20	63.93
2020-21	43.80
2021-22	24.30
2022-23	43.99
2023-24	46.90
2024-25 (दिनांक 15.11.2024 की स्थिति के अनुसार)	24.25

उपरोक्त वित्तीय वर्षों (15 नवंबर, 2024 तक) के दौरान एनसीएस के तहत नौकरी चाहने वाले/लाभार्थी 3,70,18,111 हैं, जिनमें से 13,83,407 तमिलनाडु राज्य में हैं।

4. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई):

वर्ष	वितरित राशि (करोड़ रुपये में)
2020-21	351.08
2021-22	4046.44
2022-23	4593.08
2023-24	1197.89

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, कुल लाभार्थी 60.49 लाख हैं, जिनमें से 8.05 लाख लाभार्थी तमिलनाडु राज्य में हैं।

5. **कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी):** ईएसआईसी योजना के तहत, तमिलनाडु राज्य में 11 अस्पताल (3 ईएसआईसी और 8 ईएसआईएस) और 241 औषधालय हैं तथा 7 नए अस्पतालों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। राज्य में 43,77,090 बीमित व्यक्ति हैं।

6. बंधुआ श्रम योजना का पुनर्वास:

यह योजना मांग आधारित है जहां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें निधियां प्रदान की जाती हैं। तमिलनाडु राज्य में हाल के वर्षों में लाभार्थियों की संख्या और उनके पुनर्वास के लिए जारी की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	तमिलनाडु राज्य में पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की संख्या	तमिलनाडु राज्य के लिए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए जारी राशि (लाख रुपये में)
2021-22	1016	204.73
2022-23	297	59.40
2023-24	176	56.80
2024-25	03	0.60

****

3004035/2025/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 71

सोमवार, 25 नवम्बर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईपीएफओ के पास अदावाकृत फंड

71. श्री मनीश तिवारी:

श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान निष्क्रिय कर्मचारी भविष्य निधि खातों की कुल संख्या तथा निष्क्रिय कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में रखी गई अदावाकृत राशि का राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) निष्क्रिय खातों में रखी गई राशि को संबंधित लाभार्थियों को वापस करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी नियोक्ता बदलते समय या सेवानिवृत्ति के बाद अपनी ईपीएफओ निधि को हस्तांतरित या उस पर दावा नहीं करते हैं;

(घ) यदि हां, तो नौकरी परिवर्तन के दौरान और सेवानिवृत्ति के समय निधियों के हस्तांतरण नहीं होने के परिणामस्वरूप निष्क्रिय खातों से जुड़ी धनराशि की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ङ) कर्मचारियों, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र में ईपीएफओ निधियों के उपयोग में सुधार तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हाल ही में घोषित योजना, जिसमें एक महीने की मजदूरी सब्सिडी शामिल है, का लाभ असंगठित क्षेत्र को भी मिलेगा?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में कोई अदावाकृत खाता नहीं है। हालांकि, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(6) के अनुसार, कुछ खातों को 'निष्क्रिय खाता' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जारी/---2

निष्क्रिय खातों की कुल संख्या के साथ-साथ उनमें कुल राशि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	निष्क्रिय खातों की कुल संख्या	31 मार्च की स्थिति के अनुसार उनमें जमा कुल राशि *(करोड़ रुपये में)*
2018-19	6,91,774	1,638.37
2019-20	9,77,763	2827.29
2020-21	11,72,923	3930.85
2021-22	13,41,848	4962.70
2022-23	17,44,518	6804.88
2023-24	21,55,387	8,505.23 (गैर-लेक्षापरीक्षित)

(ख): ईपीएफओ निष्क्रिय खातों में रखी गई राशि संबंधित लाभार्थियों को वापस करेगा। पिछले पांच वर्षों में निष्क्रिय खातों से निपटान की गई राशि निम्नानुसार है: -

वर्ष	वर्ष के दौरान निष्क्रिय खातों से वापस की गई राशि (करोड़ रुपए में)
2018-19	2881.53
2019-20	4123.82
2020-21	1855.55
2021-22	2269.75
2022-23	2673.97
2023-24	2632.29 (गैर-लेक्षापरीक्षित)

ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार होते हैं और जब कभी ऐसा कोई सदस्य ईपीएफओ में दावा दायर करता है तो जांच के बाद उसका निपटान किया जाता है।

(ग) और (घ): सदस्य नियोक्ता बदलते समय अपने भविष्य निधि संचय राशि को अंतरित करते हैं और सेवानिवृत्ति पर अंतिम निपटान प्राप्त करते हैं। पिछले 05 वर्षों के दौरान प्रक्रियान्वित किए गए अंतरण दावों और किए गए अंतिम निपटान का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**अंतिम निपटान हेतु निपटाए गए कुल दावे (फॉर्म 19/20)(लाख में)**	**अंतरण मामलों हेतु निपटाए गए कुल दावे (फॉर्म 13) (लाख में)**
2018-19	57.62	19.33
2019-20	51.44	38.89
2020-21	57.56	46.31
2021-22	53.61	60.95
2022-23	46.66	68.85
2023-24	47.58 (गैर-लेखापरीक्षित)	78.23 (गैर-लेखापरीक्षित)

(ड़): मल्टीमीडिया गतिविधियां जैसे शिक्षाप्रद विडियो, वेबिनार, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से कर्मचारियों के बीच ईपीएफओ निधियों के उपयोग में जागरूकता लाने और उनमें सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। (ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है)

(च): बजट घोषणा के अनुसार, पहली बार के कामगारों के लिए योजना के तहत लाभ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकरण कराने पर प्रदान किए जाएंगे।

* *****

अनुबंध

दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 71 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

कर्मचारियों द्वारा ईपीएफओ निधियों के उपयोग में जागरूकता बढ़ाने और सुधार लाने के लिए उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:

निधि आपके निकट-2.0: निधि आपके निकट 2.0 को नियमित आवधिकता के साथ देश के सभी जिलों में संगठन की पहुंच और दृश्यता बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया।

निधि आपके निकट-2.0 एक शिकायत निवारण मंच है और ईपीएफओ और उसके विभिन्न हितधारकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान का एक नेटवर्क है। निधि आपके निकट 2.0 के तहत, ईपीएफओ हर महीने की 27 तारीख को या अवकाश होने की स्थिति में उसके अगले दिन जिला स्तर पर शिविर लगा रहा है।

शिक्षाप्रद वीडियो: अपने हितधारकों को शिक्षित करने के लिए, ईपीएफओ यूट्यूब चैनल @socialepfo पर प्रत्येक शुक्रवार को शाम 6 बजे एक लघु फिल्म जारी करता है। उदाहरणार्थ- ईपीएफ योजना और ईपीएफ अग्रिमों के प्रकार, छूट से गैर-छूट वाले ईपीएफ अंतरण, निधि आपके निकट 2.0 आदि पर वीडियो।

ये वीडियो एमएसएमई क्षेत्र सहित हर क्षेत्र के हमारे अभिदाताओं को अपने पीएफ निधि का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए शिक्षित करते हैं। इन वीडियोज में सामान्य जन के लिए आसान समझ हेतु सरल ग्राफिक्स और स्पष्ट भाषा है।

साप्ताहिक वेबिनार: क्षेत्रीय कार्यालय ईपीएफओ के विभिन्न हितधारकों को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। वेबिनार ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 से संबंधित विषयों पर साप्ताहिक रूप से आयोजित किए जाते हैं। पेंशनभोगी, कर्मचारी और नियोक्ता अन्य हितधारकों सहित इन वेबिनारों में भाग लेते हैं।

सोशल मीडिया गतिविधियां: सी एंड पीआर प्रभाग को फेसबुक, ट्विटर, पब्लिक ऐप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर नियमित रूप से क्रिएटिव, कार्टून, जीआईएफ और वीडियो पोस्ट करके सोशल

मीडिया के माध्यम से हितधारकों को शिक्षित करने और जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये रचनात्मक सामग्रियां संगठन में नई पहलों और नवीनतम विकास के बारे में जागरूकता सृजित करती हैं।

यूट्यूब लाइव सत्र: यह हर महीने के दूसरे मंगलवार को आयोजित किया जाता है। इन लाइव सत्रों का उद्देश्य सामान्य जन को शिक्षित करना और हितधारकों से महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया एकत्र करने के साथ-साथ उनके प्रश्नों का उत्तर देना है।

डिजिटल सर्विसेज, ईपीएस 95, जब्त खाते (फ्रीज्ड अकाउंट्स) आदि विषयों पर लाइव सेशन आयोजित किए गए हैं।

क्षेत्रीय यूट्यूब चैनल: क्षेत्र की स्थानीय भाषा में सूचना के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय यूट्यूब चैनल शुरू किए गए हैं। शिक्षाप्रद सामग्री का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद किया जाता है और क्षेत्रीय यूट्यूब चैनलों पर पोस्ट किया जाता है।

प्रेस विज्ञप्तियां: प्रेस विज्ञप्तियां हितधारकों के साथ संचार हेतु महत्त्वपूर्ण उपकरण हैं। नियमित प्रेस विज्ञप्ति यह सुनिश्चित करती हैं कि ईपीएफओ में नई पहल और किसी भी बदलाव को सामान्य जन और मीडिया को सूचित किया जाए।

****

3004035/2025/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 72

सोमवार, 25 नवम्बर, 2024 / 4 अग्रहायण, 1946 (शक)

श्रम सुविधा पोर्टल की उपयोगिता और प्रभाव

72. श्री बैजयंत पांडा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रम सुविधा पोर्टल पर इसकी शुरूआत से उद्योग क्षेत्रों के ब्यौरों सहित अब तक कितने व्यवसाय और नियोक्ता पंजीकृत हुए हैं;

(ख) वित्त वर्ष 2024-25 में उक्त पोर्टल के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) संगठित और असंगठित क्षेत्रों में नियोक्ताओं के लिए श्रम कानूनों के अनुपालन और व्यापार करने में सुगमता पर उक्त पोर्टल का मापनीय प्रभाव क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): **अक्टूबर**, 2014 **में इसकी स्थापना के बाद से और** 18 **नवंबर**, 2024 **तक, श्रम सुविधा पोर्टल** (**एसएसपी**) **पर पंजीकृत व्यवसायों और नियोक्ताओं को कुल** 46,10,233 **श्रम पहचान संख्या** (**एलआईएन**) **ऑन-लाइन जारी की गई हैं। क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध**-1 **में दिया गया है।**

श्रम सुविधा पोर्टल के रखरखाव का प्रावधान मंत्रालय की व्यावसायिक सेवाएं मद/शीर्ष में किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 **में श्रम सुविधा पोर्टल** (**एसएसपी**) **के लिए** 16.36 **लाख रुपए का व्यय किया गया है।**

पोर्टल में एक यादृच्छिक जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली के साथ व्यावसायिक संस्थाओं हेतु ऑनलाइन पंजीकरण, लाइसेंस, रिटर्न फाइल करने की सुविधाएं प्रदान करके अनुपालन की जटिलता को सुगम बनाया गया है, जिससे कानून का कार्यान्वयन करने वाली संस्थाओं के लिए व्यक्तिपरकता कम हो गई है।

इसकी स्थापना के बाद से और 18 **नवंबर**, 2024 **तक**, 1,20,663 **लाइसेंस ऑन-लाइन जारी किए गए हैं। इसके अलावा, कुल** 4,35,376 **रिटर्न ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं।**

*

अनुबंध

"श्रम सुविधा पोर्टल की उपयोगिताओं और प्रभाव" के संबंध में दिनांक 25.11.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 72 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अक्टूबर, 2014 में श्रम सुविधा पोर्टल के प्रारंभ से इस पर जारी किए गए पंजीकरणों (एलआईएन) का क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	**औद्योगिक क्षेत्र**	**जारी किए गए एलआईएन की संख्या**
1	आवास और खाद्य सेवा गतिविधियाँ	85563
2	अपरदेशीय संगठनों और निकायों की गतिविधियाँ	204
3	नियोक्ता के रूप में हाउसहोल्ड गतिविधियां; स्वयं के उपयोग के लिए हाउसहोल्ड गतिविधियों का प्रदर्शित करने वाली अविभेदित वस्तुएं और सेवाएं	563
4	प्रशासनिक और सहायता सेवा गतिविधियाँ	298847
5	कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी	50516
6	कला, मनोरंजन और मनोरंजन सुविधाएं	44426
7	सृजन	251643
8	शिक्षा	150366
9	बिजली, गैस, स्टीम और एयर कंडीशनिंग की आपूर्ति	32685
10	वित्तीय और बीमा गतिविधियाँ	109981
11	मानव स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य गतिविधियाँ	36286
12	सूचना और संचार	14656
13	निर्माण	997170
14	खनन और उत्खनन	43546
15	अन्य सेवा गतिविधियाँ	2114025
16	व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियाँ	191620
17	लोक प्रशासन और रक्षा; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा	1550
18	रियल एस्टेट गतिविधियाँ	502
19	परिवहन और भंडारण	49191
20	जल आपूर्ति; सीवरेज, अपशिष्ट प्रबंधन और उपचार गतिविधियाँ	3565
21	थोक और खुदरा व्यापार; मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत	133328
कुल		**46,10,233**

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 171

सोमवार, 25 नवंबर, 2024 / 4 अग्रहायण, 1946 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि से निधियों का संवितरण

171. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि से विभिन्न माध्यमों से निधियां वितरित करके लाभ कमाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2023 तक किन माध्यमों से धनराशि संवितरित की गई है और पृथक रूप से इस प्रकार कितनी राशि संवितरित की गई है; और

(ग) उक्त प्रत्येक माध्यम से कितना वार्षिक लाभ अर्जित किए जाने का अनुमान है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): ईपीएफओ द्वारा विभिन्न साधनों के माध्यम से ईपीएफ से निधियों के संवितरण से कोई लाभ नहीं कमाया जाता है।

*****

3004035/2025/PQ CELL

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 192
सोमवार, 25 नवंबर, 2024 / 4 अग्रहायण, 1946 (शक)

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

192. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों और कामगारों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीएसएस के अंतर्गत श्रमिक कल्याण योजनाओं के लिए कुल वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु राज्य में अब तक निर्माण, घरेलू कार्य और प्रवासी श्रम जैसे क्षेत्रों में वितरित और उपयोग किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन योजनाओं का लाभ श्रमिकों, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने श्रमिक कल्याण के लिए सीएसएस की प्रभावशीलता का कोई मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करने वाली इन योजनाओं के प्रभाव के बारे में मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) क्या श्रम क्षेत्र में उभरती चुनौतियों, जैसे गिग श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों के समाधान के लिए नए सीएसएस का विस्तार या शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। कार्यान्वित की जा रही प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं: (i) बीड़ी/ सिनेमा/ गैर-कोयला खान कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस) जिसमें तीन घटक शामिल हैं, अर्थात स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति और आवास; (ii) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) का उद्देश्य नए रोजगार के सृजन और कोविड-19 महामारी के दौरान हुए रोजगार के नुकसान की भरपाई के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है; (iii) मॉडल कैरियर सेंटर (एमसीसी) की स्थापना के

जारी..2/-

लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस); (iv) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है; (v) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम), वृद्धावस्था पेंशन के लिए भारत सरकार द्वारा समान/ बराबर अंशदान वाली एक स्वैच्छिक अंशदायी योजना; (vi) बंधुआ मजदूरों की पहचान और पुनर्वास के लिए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास; (vii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं।

तमिलनाडु राज्य सहित चालू वित्तीय वर्ष में प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत किए गए व्यय और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा विनियमन) अधिनियम, 1996 में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपायों का उपबंध किया गया है। उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा सन्निर्माण की लागत के 1% की दर से उपकर लगाया और संग्रहण किया जाता है। राज्य, भवन एवं सन्निर्माण अधिनियम के अंतर्गत गठित अपने संबंधित राज्य भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों के माध्यम से बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 की धारा 22 के अनुसार उपकर निधि का उपयोग करते हैं।

योजना के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लाभार्थियों को जुटाने के मुद्दों का समाधान राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों के माध्यम से जागरूकता शिविरों के आयोजन, नामांकन आदि को सुकर बनाकर किया जाता है।

मंत्रालय में स्कीमों की समीक्षा/मूल्यांकन/संशोधन एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है और बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के सुझावों/सिफारिशों/अध्ययनों के अनुसार समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं।

गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों को पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में परिभाषित किया गया है, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संहिता में किया गया है। यह संहिता गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण इत्यादि मामलों से संबंधित उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय करने का उपबंध करता है। संहिता में कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष/निधि स्थापित करने का भी उपबंध है।

*   *****

"केन्द्र प्रायोजित योजनाएं" के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 192 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

तमिलनाडु राज्य को शामिल करते हुए प्रमुख कल्याण योजनाओं के अंतर्गत किए गए व्यय और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना:**

वर्ष	**व्यय (करोड़ रु. में)**
2024-25 (दिनांक 20.11.2024 के अनुसार)	95.18

दिनांक 20.11.2024 की स्थिति के अनुसार, पीएमएसवाईएम योजना के अंतर्गत मानधन पोर्टल पर 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को नामांकित किया गया है, जिनमें तमिलनाडु राज्य के 68,641 लाभार्थी शामिल हैं।

2. **श्रम कल्याण योजना** (**एलडब्ल्यूएस**):

वर्ष	**व्यय (करोड़ रु. में)**
2024-25 (दिनांक 11.11.2024 के अनुसार)	9.34

पिछले पाँच वर्षों के दौरान कुल लाभार्थी 96,08,540 हैं, जिनमे से तमिलनाडु क्षेत्र के लाभार्थी 15,22,782 हैं।

3. **राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस)**:

वर्ष	**व्यय (करोड़ रु. में)**
2024-25 (15 नवंबर, 2024 के अनुसार)	24.25

उपर्युक्त वित्तीय वर्षों (15 नवंबर, 2024 तक) के दौरान एनसीएस के तहत रोजगार चाहने वाले/लाभार्थी 3,70,18,111 हैं, जिनमें से 13,83,407 तमिलनाडु राज्य में हैं।

4. **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई):**

एबीआरवाई दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 को शुरू किया गया था। यह योजना नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए अक्टूबर, 2020 के वेतन माह से जून, 2021 के वेतन माह तक की अवधि के लिए खुली है।

वर्ष	**संवितरित राशि (करोड़ रु. में)**
2023-24	1197.89

दिनांक 31.03.2024 तक, कुल लाभार्थी 60.49 लाख हैं, जिनमें से 8.05 लाख लाभार्थी तमिलनाडु राज्य में हैं।

5. **कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी):** ईएसआईसी योजना के तहत, तमिलनाडु राज्य में 11 अस्पताल (3 ईएसआईसी और 8 ईएसआईएस) और 241 औषधालय हैं; और **7** नए अस्पतालों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है। राज्य में 43,77,090 बीमित व्यक्ति हैं।

6. **बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना:**

यह स्कीम मांग आधारित है जहां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें निधियां प्रदान की जाती हैं। तमिलनाडु राज्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष में लाभार्थियों की कुल संख्या और उनके पुनर्वास के लिए जारी की गई राशि निम्नानुसार है:

वर्ष	**तमिलनाडु राज्य में पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की कुल संख्या**	**तमिलनाडु राज्य के लिए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए जारी राशि (लाख रुपए में)**
2024-25	03	0.60

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 194
सोमवार, 25 नवम्बर, 2024/4 अग्रहयण, 1946 (शक)
रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना (ईएलआई)

194. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नियोक्ताओं और कर्मचारियों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए रोजगार संबंधी मुद्दों का समाधान करने में उपयोगकर्ता-अनुकूलता, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करने के लिए रोजगार संबंधी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना की प्रभावशीलता को स्वीकार करती है, यदि हां, तो क्या विशिष्ट सुधार देखे गए हैं, और यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा विशेष रूप से दस्तावेजीकरण को सुव्यवस्थित करने और शिकायत समाधान के समय को कम करने के संदर्भ में शिकायतों की विस्तृत श्रृंखला का समाधान करने और इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाए जाने के लिए ईएलआई योजना के दायरे और कार्यात्मकताओं का विस्तार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या रोजगार से संबंधित मुद्दों की अधिक श्रेणियों को कवर करने के लिए ईएलआई योजना में अतिरिक्त प्रावधानों या समायोजन को एकीकृत करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार मोबाइल एप्लिकेशन और वास्तविक समय निगरानी तंत्र जैसी पहल सहित ईएलआई योजना की पहुंच और उपयोगिता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठा रही है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): ईएलआई योजना का लक्ष्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके कार्यबल को औपचारिक रूप देना, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से रोजगार क्षमता में वृद्धि और अतिरिक्त रोजगार सृजन करना है।

ईएलआई योजना प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, सरलीकृत आईटी-समर्थित प्रक्रियाओं और लाभार्थियों के आधार प्रमाणित बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भुगतान के माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए लागत को कम करके इन चुनौतियों का समाधान करती है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 945

सोमवार, 02 दिसम्बर, 2024 / 11 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईपीएफओ की आईटी प्रणाली

945. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों में बार-बार आने वाली समस्याओं से अवगत है, जिसके कारण बार-बार प्रणाली ठप्प और धीमी हो जाती है, जिससे दावों के प्रसंस्करण में बाधा उत्पन्न होती है;

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और क्या ईपीएफओ की आईटी अवसंरचना में व्यापक आमूलचूल परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या इन अपग्रेड संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से अधिक कार्यभार और प्रणाली क्षमता के कारण प्रचालनात्मक कठिनाइयों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करान्दलाजे)

(क) से (ङ): ईपीएफओ सदस्यों, पेंशनभोगियों और प्रतिष्ठानों ईपीएफओ के एकीकृत पोर्टल'- www.epfindia.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं मुहैया कराता है। नियोक्ताओं, सदस्यों और पेंशनभोगियों के लिए ऑनलाइन सेवाओं ईपीएफओ का एकीकृत पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है।

इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंतरिक प्रचालन भी कम्प्यूटरीकृत हैं। दावों पर कार्रवाई करने में आंतरिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रयोक्ताओं द्वारा धीमी प्रणाली का सामना की जा रही रिपोर्टों की प्रतिक्रिया में कई कदम उठाए गए हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस वर्जन्स का उन्नयन और निष्पादन समरूपता सहित कार्यनिष्पादन में सुधार लाना शामिल है।

इसके अलावा, ईपीएफओ द्वारा 1 लाख रुपये तक के दावों के प्रसंस्करण को स्वचालित करके छोटे दावों को फास्ट- ट्रैक करने के लिए सुधार प्रक्रिया का कार्य किया गया है। 1 अप्रैल, 2024 से 26 नवंबर, 2024 तक 1,35,74,450 से अधिक दावो का स्वतः निपटान किया जा चुका है।

ईपीएस योजना के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) का एक पायलट परीक्षण दिनांक 29 और 30 अक्टूबर 2024 को पूरा किया गया था जिसमें जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को अक्टूबर 2024 के लिए 11 करोड़ रुपये से अधिक का संवितरण किया गया था। इससे सीपीपीएस पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में समर्थ बनाता है।

केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली (सीआईटीईएस) 2.01 को लागू करने का उत्तरदायित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्था सी-डैक को सौंपा गया है जिसमें कॉमन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आधारित लेखांकन के साथ एकल केंद्रीकृत डेटाबेस के लिए विकेन्द्रीकृत डेटाबेस को समेकित करने हेतु महत्वपूर्ण संवर्धन और छूट मॉड्यूल के ऑनलाइन अभ्यर्पण तथा सीपीपीएस को पूर्ण रूप से शुरू करने जैसी अन्य विशेषताएं शामिल हैं। ईपीएफओ लगातार अपनी आईटी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है और अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बना रहा है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 997
सोमवार, 02 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईपीएफओ द्वारा निवेश

997. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ऋण लिखतों और 'एक्सचेंज ट्रेडिड फंड' में भारी धनराशि का निवेश किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत सात वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शेयर बाजार और संबंधित उत्पादों में निवेश की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान 'ब्लू चिप' कंपनियों के शेयरों में निवेश की गई ईपीएफ की कुल राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): निधियों का निवेश वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 11/14/2013-पीआर, दिनांकित 2 मार्च, 2015 द्वारा अधिसूचित निवेश पैटर्न के अनुसार तथा सीबीटी, ईपीएफ द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, ईपीएफओ ने निर्धारित पैटर्न के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, दोनों में निवेश किया है। दिनांक 31.03.2015 को आयोजित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 207वीं बैठक के अनुमोदन के अनुसार, ईपीएफओ ने अगस्त 2015 से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश शुरू कर दिया है।

ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित विभिन्न निधियों का कुल कार्पस दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार 24.75 लाख करोड़ रुपये था।

जारी...2/-

(करोड़ रूपये में)

ऋण निवेश (भारत के लोक लेखे में रखी गई राशि सहित)	ईटीएफ निवेश
22,40,922.30	2,34,921.49

(ख): ईपीएफओ इक्विटी बाजार में किसी भी व्यष्टि स्टॉक में सीधे निवेश नहीं करता है।

ईपीएफओ नियमित रूप से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के माध्यम से इक्विटी बाजारों में निवेश करता है, जो बीएसई-सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी-50 सूचकांकों की प्रतिकृति हैं। इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ ने समय-समय पर उन ईटीएफ में भी निवेश किया है, जिनका निर्माण विशेष रूप से निकाय कारपोरेटों में भारत सरकार की शेयरधारिता के विनिवेश के लिए किया गया है, नामत: ईटीएफ ट्रैकिंग भारत 22 और सीपीएसई सूचकांक।

ईपीएफओ द्वारा ईटीएफ में किया गया वर्ष-वार निवेश निम्नानुसार है:-

पिछले 7 वर्षों में ईपीएफओ के ईटीएफ निवेश के आंकड़े (करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**ईटीएफ**
2017-18	22,765.99
2018-19	27,974.25
2019-20	31,501.11
2020-21	32,070.84
2021-22	43,568.08
2022-23	53,081.26
2023-24	57,184.24
2024-25 (अक्टूबर 2024 तक)	34,207.93

(ग): ईपीएफओ का इक्विटी बाजार में किसी भी सूचीबद्ध/गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयरों में कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1107

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक)

भविष्य निधि में अंशदान

1107. श्री उज्जवल रमण सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2023-24 के दौरान कर्मचारियों की भविष्य निधि में अंशदान नहीं करने वाली कम्पनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने वर्ष 2023-24 के दौरान अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि में अंशदान नहीं किया है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एंड एमपी) अधिनियम, 1952 के तहत कवर किए गए नियोक्ताओं/प्रतिष्ठानों के लिए अपने सभी पात्र कर्मचारियों के संबंध में इलैक्ट्रॉनिक-चलान-सह रिटर्न दायर करना और वेतन माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करना आवश्यक है। ईसीआर दायर न करने के मामले में, नियोक्ताओं को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सचेत (अलर्ट) किया जाता है।

ऐसे मामलों में जहां जांच के बाद गैर-अनुपालन का पता लगाया गया है, चूक की राशि का आकलन किया जाता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 क के तहत अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वसूली की जाती है। भुगतान में जानबूझकर चूक के लिए धारा 14 ख के तहत जुर्माना लगाया जाता है, और गैर-अनुपालन के लिए कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसमें संभावित कुर्की या संपत्ति को जब्त करना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, विलंबित भुगतान के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 ख के तहत 53782 मामलों में जुर्माना वसूल किया गया।

जारी--/2

गंभीर मामलों में, कम्पनी के प्रबंधन के विरुद्ध आपराधिक आरोप दर्ज किए जा सकते हैं। ये कदम चूक की पुनरावृत्ति को भी नियंत्रण में रखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, 184 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध भुगतान में चूक के लिए धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन दायर किया गया और 23 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध भुगतान में चूक के लिए आईपीसी की धारा 406/409 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अंशदान न करने वाले चूककर्ता प्रतिष्ठानों का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

* *****

अनुबंध

'भविष्य निधि में अंशदान' के संबंध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा दिनांक 02.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1107 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अंशदान न करने वाले चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	14
2	आंध्र प्रदेश	339
3	असम	46
4	बिहार	45
5	छत्तीसगढ़	36
6	दादरा और नागर हवेली	24
7	दमन दीव	12
8	दिल्ली	296
9	गोवा	8
10	गुजरात	192
11	हरियाणा	197
12	झारखंड	28
13	कर्नाटक	293
14	केरल	42
15	मध्य प्रदेश	174
16	महाराष्ट्र	784
17	मेघालय	1
18	ओडिशा	126
19	पंजाब	292
20	राजस्थान	159
21	हिमाचल प्रदेश	3
22	सिक्किम	2
23	तमिलनाडु	856
24	तेलंगाना	272
25	त्रिपुरा	18
26	उत्तर प्रदेश	435
27	उत्तराखंड	63
28	पश्चिम बंगाल	108
	कुल योग	**4865**

*****

3004035/2025/PQ CELL

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. *182

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

पीएम-इंटर्नशिप योजना के तहत रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन

***182. श्री सचिदानन्दम आर.:**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2024-25 के लिए घोषित पीएमआईएस की रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन योजना में नामांकित कंपनियों की सूची क्या है;

(ख) प्रत्येक कंपनी प्रशिक्षुओं की सेवाएं जिन उत्पादन/प्रचालनों में लेंगी, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना में प्रस्तावित अल्प अवधि के रोजगार से युवाओं को रोजगार गारंटी किस प्रकार मिलेगी?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन' के संबंध में 9 दिसंबर, 2024 को उतरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 182 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस/योजना) का उद्देश्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। यह न तो रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है और न ही रोजगार प्रदान करने की योजना है। यह युवाओं को व्यवसायों या संगठनों के वास्तविक जीवन के वातावरण में प्रशिक्षण प्राप्त करने, अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है जो शैक्षणिक शिक्षा और उद्योग की अपेक्षाओं के बीच की खाई को पाटने में मदद करता है, बदले में, उसकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, पीएम इंटर्नशिप योजना-पायलट परियोजना के दिशानिर्देशों में, जो www.pminternship.mca.gov.in में उपलब्ध हैं, यह स्पष्ट किया गया है कि इंटर्नशिप का प्रस्ताव मंत्रालय, या संबंधित कंपनी और चयनित इंटर्न के बीच नियोक्ता-कर्मचारी के किसी भी अनुबंध या कानूनी संबंध को जन्म नहीं देगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इंटर्नशिप के ऐसे प्रस्ताव को इंटर्नशिप की अवधि के दौरान या बाद में संबंधित कंपनी या मंत्रालय द्वारा भविष्य में रोजगार के प्रस्ताव या वादे के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इस योजना की शुरुआत के रूप में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 03.10.2024 को 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने की लक्षित योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मंत्रालय ने शीर्ष 500 कंपनियों की पहचान पिछले तीन वर्ष के औसत सीएसआर व्यय के आधार पर की है। इनके अतिरिक्त, योजना में भाग लेने की इच्छुक कोई अन्य कंपनी/बैंक/वित्तीय संस्थान ऐसा कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अनुमोदन से कर सकता है, जो उपर्युक्त 500 कंपनियों में कम प्रतिनिधित्व वाले सेक्टरों और क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा। इस योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है। भागीदार कंपनियों की सूची https://pminternship.mca.gov.in पर उपलब्ध है।

भागीदार कंपनियों की सूची में बड़ी संख्या में विमानन और रक्षा, मोटर वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, रसायन उद्योग, तेल, गैस और ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्र और बिक्री, लेखा, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, प्रक्रिया सहयोगी, विनिर्माण सहयोगी और संयंत्र संचालन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भूमिकाएं शामिल हैं। पायलट चरण में, 25 क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा 1.27 लाख इंटर्नशिप अवसरों की पेशकश की गई है।

****

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 2132

सोमवार, 09 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत पेंशन में वृद्धि

2132. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत पेंशनभोगियों से न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का अनुरोध करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार का ईपीएस, 1995 के तहत पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ईपीएस पेंशन बढ़ाने के लिए विशेष रूप से श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों के आलोक में इन अभ्यावेदनों का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ईपीएस, 1995 के तहत पेंशन में वृद्धि की सुविधा के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की राशि में वृद्धि करने का अनुरोध करते हुए ट्रेड यूनियनों सहित विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) एवं (ग): ईपीएस, 1995 एक "परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ" सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कॉर्पस **(i)** नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; तथा **(ii)** केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से प्रति

माह 15,000/- रुपये तक की राशि के अंशदान से बनाया जाता है। इस योजना के तहत सभी लाभ ऐसे संचयन से प्रदान किए जाते हैं। ईपीएस, 1995 के पैराग्राफ 32 के अंतर्गत यथा अधिदेशित निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है तथा 31.03.2019 तक निधि के मूल्यांकन के अनुसार, बीमांकिक घाटा हुआ है।

(घ) **एवं (ङ):** सरकार ने वर्ष 2014 में पहली बार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों को प्रतिमाह 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16 प्रतिशत की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत भारत सरकार के 1.16 प्रतिशत के सांविधिक अंशदान तथा प्रतिमाह 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन के लिए ईपीएफओ को जारी की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	**1.16% अंशदान**	**न्यूनतम पेंशन के लिए अनुदान सहायता**	**कुल**
2019-20	3,696.67	1,400.00	5,096.67
2020-21	6,027.61	1,491.40	7,519.01
2021-22	17,359.20	1,119.13	18,478.33
2022-23	7,785.00	1,000.00	8,785.00
2023-24	8,167.00	960.00	9,127.00

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2192

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस)

2192. श्री इटेला राजेंदर:
श्रीमती डी. के. अरुणा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रस्तावित केन्द्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) का प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा है, यदि हां, तो संपूर्ण देश में 80 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को देश में किसी भी बैंक की, किसी भी शाखा से, कहीं भी अपनी पेंशन प्राप्त करने में सहायक होने वाली नई प्रणाली कब तक कार्यान्वित की जाएगी;

(ख) क्या सीपीपीएस पेंशनभोगियों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करेगा और ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध, अधिक सुदृढ़, उत्तरदायी और तकनीक-सक्षम संगठन में बदलने के लिए एक निर्बाध संवितरण तंत्र सुनिश्चित करेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इसे कार्यान्वित किया जाएगा/इसके क्या परिणाम मिले/इसमें किन कमियों का पता चला है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): जी हाँ, प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा।

दिनांक 29 और 30 अक्टूबर 2024 को पहला प्रायोगिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया और केन्द्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के माध्यम से जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को पेंशन संवितरित की गई। नवंबर माह 2024 में दूसरा प्रायोगिक परीक्षण 24 आरओ में आयोजित किया गया और सीपीपीएस के माध्यम से लगभग 9.3 लाख ईपीएस पेंशनभोगियों को पेंशन संवितरित की गई। सीपीपीएस को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने के कार्य को वर्ष 2025 की शुरुआत में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

जारी....2/-

सीपीपीएस एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित करने वाला एक प्रमुख बदलाव का प्रतीक है, जो पूरे भारत में किसी भी बैंक की, किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन संवितरण को सक्षम बनाता है।अब पेंशनभोगियों के पास मौजूदा आरओ आधारित विकेन्द्रीकृत पेंशन संवितरण में कुछ बैंकों के सीमित विकल्प के बजाय भारत में कहीं भी किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की किसी भी शाखा में पेंशन प्राप्त करने का विकल्प होगा।

सीपीपीएस प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी, भले ही पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए या अपना बैंक या शाखा बदले।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2211
सोमवार, 09 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)

सामाजिक सुरक्षा कवरेज

2211. श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नियोक्ताओं द्वारा वर्तमान में कितने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत कवरेज की सीमा को बीस कर्मचारियों से घटाकर दस कर्मचारी करके सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ एकरूपता लाने के लिए भविष्य निधि कवरेज की सीमा को बीस कर्मचारियों से घटाकर दस कर्मचारी करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): ईपीएफओ के अंतर्गत वर्तमान कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

उन सदस्यों के यूएएन की संख्या जिनका ईपीएफ अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ है।	7,20,28,109
उन सदस्यों के यूएएन की संख्या जिनका ईपीएस अंशदान कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ है।	7,14,28,499

अंशदायी यूएएन।

दिनांक 31.03.2024 तक ईएसआई योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों की कुल संख्या 3.72 करोड़ है।

(ख) से (ङ): कवरेज का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है जिसमें वेतन-सीमा और प्रतिष्ठानों की श्रेणी जैसे विभिन्न कवरेज संबंधी मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 लागू होता है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 पहले से ही 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं को स्वेच्छा से अधिनियम के तहत नामांकन करने और ईपीएफ लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है।

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2008
गुरूवार, 12 दिसम्बर, 2024 / 21 अग्रहायण, 1946 (शक)

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर

2008. श्री नीरज डांगी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का उद्देश्य क्या है;

(ख) इस योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार, कौशल एवं अन्य अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) उक्त योजना में भाग लेने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत कितनी नौकरियां प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए किसी निगरानी तंत्र की स्थापना की है कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): सरकार ने रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1,07,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ "प्रधानमंत्री रोजगार और कौशल निर्माण पैकेज" के भाग के रूप में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव किया है। इस योजना में नियोक्ताओं और

जारी..2/-

कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है और सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

भाग-क : इस योजना से 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ होने की अपेक्षा है।

भाग-ख : इस योजना से रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ होने की अपेक्षा है।

भाग-ग : इस योजना से 50 लाख व्यक्तियों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन प्राप्त होने की अपेक्षा है।

यह योजना औपचारिक क्षेत्र के उन सभी प्रतिष्ठानों के लिए खुली है, जो योजना नामांकन अवधि के दौरान ईपीएफओ के साथ पंजीकृत हैं / पंजीकृत होंगे।

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2014
गुरूवार, 12 दिसम्बर, 2024 / 21 अग्रहायण, 1946 (शक)

देश में श्रम विधियों का कार्यान्वयन

2014. श्री मानस रंजन मंगराजः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से ओडिशा में श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए श्रम विधियों के कार्यान्वयन की निगरानी की है;

(ख) विगत तीन वर्षों में ओडिशा में किए गए निरीक्षणों की संख्या और राज्य में विशेष रूप से श्रम विधियों के अनुपालन में किए गए उल्लंघनों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा ओडिशा में विधिक उपबंधों में किसी परिवर्तन अथवा बेहतर निरीक्षण प्रणालियों सहित प्रवर्तन तंत्र के सुदृढ़ीकरण और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): 'श्रम' समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है और इस कारण केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में श्रम कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में इसका प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के माध्यम से किया जाता है, वहीं राज्य क्षेत्र में इसका अनुपालन राज्य के अपने प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सीआईआरएम के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। पाई गई किसी भी अनियमितता को तुरंत ठीक किया जाता है और लागू श्रम कानूनों के अनुसार अभियोजन दायर किए जाते हैं। इसी प्रकार, राज्य सरकारों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर श्रम कानूनों के कार्यान्वयन और संगत अभिलेखों के रख-रखाव का कार्य सौंपा गया है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2015
गुरूवार, 12 दिसम्बर, 2024 / 21 अग्रहायण, 1946 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजनाएँ

2015 **श्री नरेश बंसल:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) की क्या स्थिति है और इस योजना के सरकार पर क्या वित्तीय निहितार्थ होंगे; और
(ख) क्या ईपीएफ की पेंशन राशि बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि सभी पात्र कर्मचारियों को ईपीएस लाभों की जानकारी हो?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995, एक 'परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ' सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कॉर्पस (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और (ii) 15,000/- रुपए प्रति माह तक के वेतन के लिए वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से बना है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार की संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत यथा अधिदेशित निधि का मूल्य निर्धारण वार्षिक रूप से किया जाता है।

सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में, बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को प्रति माह 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी।

निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में प्रत्येक माह जिला स्तर पर एक मासिक पहल की जाती है जिसमें प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से हितधारकों को योजना के लाभों के बारे में बताया जाता है।

ईपीएफओ ने ईपीएस, 1995 के सदस्यों को सेवानिवृत्ति के दिन पीपीओ सौंपने के लक्ष्य से प्रयास नामक एक पहल भी शुरू की है। इस योजना के लाभों को आसानी से समझने के लिए यूट्यूब, एक्स और फेसबुक सहित सोशल मीडिया पर ऑडियो विजुअल माध्यमों से सूचनात्मक संदेश नियमित रूप से पोस्ट किए जाते हैं।

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2016
गुरूवार, 12 दिसम्बर, 2024 / 21 अग्रहायण, 1946 (शक)

स्वैच्छिक भविष्य निधि (वीपीएफ) अंशदान की अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए कदम

2016 श्री जग्गेशः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि निम्न-मध्यम और मध्यम आय वर्ग के वेतनभोगी वर्गों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से अधिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें पर्याप्त सेवानिवृत्ति कोष बनाने में समर्थ करने की आवाश्यकता है;

(ख) क्या सरकार ईपीएफओ के अंतर्गत स्वैच्छिक भविष्य निधि (वीपीएफ) में कर मुक्त ब्याज अंशदान की अधिकतम सीमा को मौजूदा 2.5 लाख से बढ़ाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किया जाएगा?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ) में नियमित रूप से अंशदान करके, सदस्य समय के साथ पर्याप्त सेवानिवृत्ति राशि जमा कर सकते हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ) के अंतर्गत स्वैच्छिक भविष्य निधि (वीपीएफ) में कर मुक्त ब्याज के साथ अंशदान की अधिकतम सीमा को मौजूदा 2.5 लाख से बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

3004035/2025/PQ CELL

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2018
गुरूवार, 12 दिसम्बर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक)

पुडुचेरी में कार्यान्वित की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)

2018. श्री एस. सेल्वागनबेथी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पुडुचेरी राज्य में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पुडुचेरी में उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त प्रत्येक योजना के लिए स्वीकृत, अनुमोदित, जारी और व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित और प्राप्त किए गए भौतिक लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। संघ राज्य-क्षेत्र पुडुचेरी सहित मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही कुछ प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं: आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई); राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र (एनसीएससी) और नि:शक्त व्यक्तियों के लिए एनसीएससी; कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से लागू कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995; प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के माध्यम से बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाएं। ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

*　　　　　　　　　　　　　*****

अनुबंध

"पुडुचेरी में कार्यान्वित की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)" के संबंध में दिनांक 12.12.2024 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2018 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

1. **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना**:

वर्ष	**व्यय (करोड़ रुपए में) (अखिल भारत)**
2020-21	319.71
2021-22	324.23
2022-23	269.91
2023-24	162.51
2024-25 (दिनांक 20.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार)	95.18

दिनांक 08.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार, पुडुचेरी में 6806 लाभार्थियों सहित पीएमएसवाईएम योजना के तहत मानधन पोर्टल पर 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को नामांकित किया गया है।

2. **राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस)**: 15 नवम्बर, 2024 तक एनसीएस के अंतर्गत पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 3,70,18,111 है जिसमें से 97,102 पुडुचेरी से हैं।

3. **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)**:

वर्ष	**वितरित राशि (करोड़ रुपये में) (अखिल भारत)**
2020-21	351.08
2021-22	4046.44
2022-23	4593.08
2023-24	1197.89

31.03.2024 तक कुल लाभार्थी 60.49 लाख हैं जिनमें से 14,746 लाभार्थी पुडुचेरी में हैं।

4. **कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)**: ईएसआईसी योजना के तहत**,** पुडुचेरी संघ राज्य-क्षेत्र में 1 ईएसआईएस अस्पताल और **15** औषधालय हैं। पुडुचेरी में 1,16,080 बीमित व्यक्ति/परिवार हैं।

5. **बंधुआ श्रमिक पुनर्वास योजना**: यह योजना मांग आधारित है जहां राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें निधियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2023-24 में, पुडुचेरी में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए जारी की गई राशि 15 लाख रुपये है।

*****

3004035/2025/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2019

गुरूवार, 12 दिसम्बर, 2024 / 21 अग्रहायण, 1946 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य

2019. डा. जॉन ब्रिटासः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत कुल सदस्यों और पेंशनभोगियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) वर्तमान में 1000 रुपये से कम पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है;

(ग) 4000 रुपये प्रति माह से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है;

(घ) दिनांक 31.03.2024 तक की स्थित के अनुसार कर्मचारी पेंशन निधि की राशि कितनी है;

(ङ) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान इस राशि से अर्जित ब्याज और अन्य आय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(च) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान ईपीएफओ द्वारा कुल पेंशन संवितरण का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) दिनांक 31.03.2024 तक कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत निष्क्रिय खातों में कुल राशि कितनी है; और

(ज) क्या सरकार की कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की योजना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या 6.96 करोड़ है।

(ख) और (ग): कर्मचारी पेंशन योजना के तहत 78.49 लाख पेंशनभोगी (दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार) लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2014 में, सरकार ने बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के तहत 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन निर्धारित की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस, 1995 के लिए वार्षिक रूप से प्रदान की जाने वाली मजदूरी के 1.16 प्रतिशत की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी।

(घ): दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि का कॉर्पस 8,88,269.00 करोड़ है।

(ङ): पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान कॉर्पस निधि से सृजित और अन्य आय का वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

जारी..2/-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	ब्याज से आय	अन्य आय
1.	2019-20	39,042.05	901.90
2.	2020-21	41,472.14	274.04
3.	2021-22	50,613.95	370.71
4.	2022-23	52,171.00	564.21
5.	2023-24*	58,668.72	863.62

*आंकड़ों की लेखा परीक्षा नहीं हुई है।

(च): पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कुल पेंशन संवितरण का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	वितरित पेंशन (करोड़ रुपये में)
2019-2020	11,320.89
2020-2021	12,172.56
2021-2022	12,933.12
2022-2023	14,444.60
2023-2024	15,130.68

(छ): दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि के तहत निष्क्रिय खातों में रखी गई कुल राशि 8505.23 करोड़ रुपये है।

(ज): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995, एक 'परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ' सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कार्पस (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और (ii) 15,000/- रुपए प्रति माह तक के वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से बना है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार की संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत दिए गए अधिदेश के अनुसार निधि का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है।

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पेंशनभोगियों की मांगों पर विचार करते हुए, सरकार ने ईपीएस, 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति (एचईएमसी) का गठन किया। समिति ने ईपीएस, 1995 के तहत महंगाई भत्ते के मुद्दे पर विचार किया और अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया कि निधि की बीमांकिक स्थिति को देखते हुए ईपीएस 95 के तहत स्वीकार्य पेंशन को जीवन-यापन लागत सूचकांक से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2022
गुरूवार, 12 दिसम्बर, 2024 / 21 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन

2022. श्रीमती जेबी माथेर हीशमः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) क्या ईपीएस डोमेन में 'वन रैंक वन पेंशन' योजना लागू की जाएगी; और

(ग) क्या ईपीएस पेंशन से संबंधित दावों को अविलंब निपटाने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995, एक 'परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ' सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कॉर्पस (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और (ii) 15,000/- रुपए प्रति माह तक के वेतन के लिए वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से बना है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार की संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत यथा अधिदेशित निधि का मूल्य निर्धारण वार्षिक रूप से किया जाता है।

योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि का निर्धारण सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाता है:

$$\frac{\text{पेंशन योग्य सेवा} \times \text{पेंशन योग्य वेतन}}{70}$$

यह स्पष्ट है कि पेंशन की राशि एक पूर्वनिर्धारित फार्मूला पर आधारित है। तथापि, सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में, बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को प्रति माह 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी।

जारी..2/-

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पेंशनभोगियों की मांगों पर विचार करते हुए, सरकार ने ईपीएस, 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति (एचईएमसी) का गठन किया। समिति ने ईपीएस, 1995 के तहत महंगाई भत्ते के मामले पर विचार किया और अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुशंसा की है कि निधि की बीमांकिक स्थिति को देखते हुए ईपीएस 95 के तहत स्वीकार्य पेंशन को जीवन-यापन लागत सूचकांक से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है।

(ख) और (ग): ईपीएस के तहत पेंशन रैंक से जुड़ी नहीं है। पेंशन दावों के निपटान के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 297
सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 / 25 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईपीएफओ के नए अंशदाताओं की संख्या में गिरावट

***297. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, एक साल पहले की तुलना में वर्ष 2023-24 में ईपीएफओ में कुल नए अंशदाताओं को जोड़े जाने में 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है और इनकी संख्या 1.09 करोड़ हो गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा ईपीएफओ की सदस्यता पर आर्थिक मंदी और नौकरी छूटने के प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

"ईपीएफओ के नए अंशदाताओं की संख्या में गिरावट" के संबंध में श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा दिनांक 16.12.2024 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 297 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): ईपीएफओ वर्ष 2018 से मासिक पेरोल डेटा जारी कर रहा है। यह डेटा प्रत्येक महीने की 20 तारीख को जारी किया जाता है और ईपीएफओ के वेब पोर्टल http://www.epfindia.gov.in>> Payroll Data पर पब्लिक डोमेन के लिए उपलब्ध होता है।

वर्ष 2020-21 से जोड़े गए नए ईपीएफ अभिदाताओं की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**नए ईपीएफ अभिदाताओं की संख्या**
2020-21	85,48,898
2021-22	1,08,65,063
2022-23	1,14,98,453
2023-24	1,09,93,119
2024-25 (अप्रैल-सितंबर 24)	61,46,445

उपरोक्त तालिका स्पष्ट दर्शाती है कि ईपीएफओ में साल दर साल सतत रूप से एक करोड़ से अधिक नए अभिदाता जुड़े हैं। जबकि एक ओर, वर्ष 2022-23 में ईपीएफ अभिदाताओं की अधिक संख्या की वजह कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान ईपीएफओ में पंजीकरण के बैकलॉग को कहा जा सकता है, वहीं दूसरी ओर, यह कोविड के बाद की अवधि में आर्थिक गतिविधियों में सुधार को दर्शाता है।

चालू वित्तीय वर्ष में, गत वित्तीय वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 के 56% नए ईपीएफ अभिदाता पहले छह महीनों में ही जुड़ चुके हैं, जिससे यह नए ईपीएफ अभिदाताओं में बहुत अधिक वृद्धि दर्शाती है।

(ग) और (घ): अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए, सरकार ने ईपीएफओ में नामांकन के आधार पर केंद्रीय बजट 2024-25 में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3278

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 / 25 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईपीएफओ के सेवानिवृत्त सदस्यों को पेंशन संबंधी लाभ

3278. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा ईपीएफओ के सेवानिवृत्त सदस्यों को पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पदाधिकारियों को किसी मैनुअल के माध्यम से पेंशन दावों के निपटान संबंधी प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु कोई व्यापक दिशानिर्देश दिए हैं; और

(ग) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना के अंतर्गत अनुमेय राहत/लाभ की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): ईपीएस 95 में विभिन्न प्रकार की आकस्मिकताओं को शामिल करते हुए व्यापक लाभ प्रदान किया जाता है, जो सदस्यों और उनके परिवारों की वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

इसके अलावा, ईपीएफओ ने सेवानिवृत्ति के दिन ईपीएस, 1995 के सदस्यों को पीपीओ सौंपने के उद्देश्य से प्रयास नामक एक पहल शुरू की है।

निधि आपके निकट (एनएएन) 2.0 कार्यक्रम के तहत पूरे देश में जिला स्तर पर हर महीने एक मासिक पहल की जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष बातचीत के माध्यम से हितधारकों को योजना के लाभों के बारे में बताया जाता है।

(ख): जी, हां। ईपीएस, 1995 से संबंधित एक अद्यतित मैनुअल और ईडीएलआई, 1976 से संबंधित एक अद्यतित मैनुअल का विमोचन माननीय श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा दिनांक 15.11.2024 को किया गया। दिनांक 30.11.2024 को आयोजित सीबीटी की 236वीं बैठक में इनका अनुसमर्थन/पुष्टि की गई। अद्यतन किए गए मैनुअलों से फील्ड कार्यालयों को संरचित तरीके से अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन करने में सहायता मिलेगी।

(ग): दिनांक 28-04-2024 से 2.5 लाख रुपये का न्यूनतम आश्वासन लाभ और 7 लाख रुपये का अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ईडीएलआई योजना 1976 के तहत राहत लाभ को दिनांक 18.11.2024 के जीएसआर 715 (अ) के माध्यम से और आगे बढ़ा दिया गया है।

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3283
सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 / 25 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईएसआईसी द्वारा सामाजिक सुरक्षा लाभ

3283. श्री आलोक शर्माः
श्री मनोज तिवारीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार संगठित क्षेत्र के बेरोजगार कामगारों को कोई राहत/लाभ प्रदान करती है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का ईएसआईसी लाभार्थियों को स्थायी निःशक्तता और आश्रित लाभ प्राप्त करने के लिए मुजावजा देने के संबंध में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) मध्य प्रदेश में ईएसआईसी सुविधाओं का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(च) मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(छ) मध्य प्रदेश में ईएसआईसी अस्पतालों की कुल संख्या कितनी है/इनकी संरचना और भविष्य की रूपरेखा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (छ)**:** कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जिलों में 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसे मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में कार्यान्वित किया गया है। कारखानों/प्रतिष्ठानों के वे कर्मचारी जो ₹ 21000/- प्रति माह (₹ 25,000/- निःशक्त व्यक्तियों के लिए) तक वेतन प्राप्त करते हैं ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत कवर किए जाते हैं और और लाभ प्राप्त करने के पात्र होते हैं। मध्य प्रदेश में दिनांक **31.3.2024** तक की स्थिति के अनुसार बीमित व्यक्तियों की जिला-वार संख्या संलग्न है।

इसके अतिरिक्त**,** ईएसआईसी संगठित क्षेत्र के बेरोजगार कामगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) और अटल बीमित व्यक्ति

जारी../2-

कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) का कार्यान्वयन करता है। आरजीएसकेवाई के अंतर्गत, उन बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ और बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है जो कारखाने के बंद होने, छंटनी या गैर-रोजगार चोट के कारण उत्पन्न होने वाली **50%** निःशक्तता (17.01.2008 से 40% निःशक्तता) के कारण बेरोजगार हो जाते हैं। योजना के तहत, 0-12 महीने के दौरान बीमित व्यक्ति के वेतन का 50% और 13-24 महीनों के दौरान वेतन का **25%** बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। एबीवीकेवाई के तहत, योजना की कुछ शर्तों के अधीन बेरोजगारी के मामले में बीमित व्यक्ति की मजदूरी के **50%** पर **90** दिनों तक का एकमुश्त राहत भुगतान किया जाता है। ईएसआई निगम ने योजना को दिनांक 30.06.2026 तक बढ़ा दिया है। ईएसआई निगम ने दिनांक 01.08.2022 से स्थायी निःशक्तता लाभ (पीडीबी) और आश्रितों के लाभ (डीबी) दरों को भी उन मामलों में बढ़ाया है जहां रोजगार की चोटों के परिणामस्वरूप निःशक्तता अथवा मृत्यु दिनांक 31.12.2021 को या उससे पहले हुई थी।

मध्य प्रदेश में, इस समय, 07 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल कार्यशील हैं, जिनमें से 02 कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाए जाते हैं। ईएसआईसी ने ईएसआई लाभार्थियों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में 03 नए अस्पतालों की स्थापना के लिए भी "सैद्धांतिक" अनुमोदन दिया है।

*   ******

अनुबंध

'ईएसआईसी द्वारा सामाजिक सुरक्षा लाभ' के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को श्री आलोक शर्मा और श्री मनोज तिवारी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3283 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 31.03.2024 तक मध्य प्रदेश में जिलेवार बीमित व्यक्तियों की कुल संख्या

जिले का नाम	**बीमित व्यक्तियों की संख्या**
आगर	731
अलीराजपुर	1105
अशोक नगर	881
बड़वानी	829
भिण्ड	22
बुरहानपुर	7095
दतिया	11
देवास	45676
धार	157743
गुना	4964
ग्वालियर	69910
इन्दौर	363178
झाबुआ	825
खंडवा (पूर्व निमाड़)	3240
खरगौन (पश्चिम निमाड़)	17550
मंदसौर	11364
मोरेना	9004
नीमच	4277
रतलाम	22082
शाजापुर	1917
श्योपुर	1859
शिवपुरी	730
उज्जैन	28921
अनूपपुर	321
बालाघाट	2321
बैतूल	854
भोपाल	231368
छतरपुर	1176
छिंदवारा	3839
दमोह	1060
डिंडौरी	544
हरदा	771
होशंगाबाद	10224
जबलपुर	58225
कटनी	10073
मंडला	387
नरसिंहपुर	1365
पन्ना	418
रायसेन	52716
राजगढ़	585
रीवा	8564
सागर	24747
सतना	25381
सीहोर	6843
सिवनी	788
शहडोल	5174
सीधी	727
सिंगरौली	10261
टीकमगढ़	1242
उमरिया	220
विदिशा	1534

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3295

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 / 25 अग्रहायण, 1946 (शक)

श्रम कल्याण योजनाओं के लिए धन

3295. श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों में तेलंगाना को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जैसी विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) तेलंगाना राज्य द्वारा उपर्युक्त निधियों के उपयोग का जिला-वार विशेषकर निजामाबाद जिले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेलंगाना राज्य में इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है, विशेषकर अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों से संबंधित श्रमिकों की संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): तेलंगाना में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के लिए भुगतान की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने गत पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित श्रमिक कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की गईं:

i) दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2022 के दौरान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)। पंजीकृत कर्मचारियों के लिए लाभ, जिसे पंजीकरण से 2 वर्ष तक यानी दिनांक 31.03.2024 तक जारी रखा गया।

ii) दिनांक 01.4.2016 से 31.03.2019 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)। पंजीकृत कर्मचारियों के लिए लाभ, शामिल होने की तारीख से 3 वर्ष तक यानी 31.03.2022 तक जारी रखा गया।

iii) मार्च 2020 से अगस्त 2020 के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई)।

जारी..2/-

ये योजनाएं मांग-आधारित थीं और इसलिए धनराशि राज्य-वार आवंटित नहीं की गई। हालाँकि, पिछले पाँच वर्षों के दौरान तेलंगाना में दिए गए लाभों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग): ईएसआईसी केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जिलों में संगठित क्षेत्रों (10 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों / प्रतिष्ठानों) में कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। एबीआरवाई, पीएमआरपीवाई और पीएमजीकेवाई योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों के लिए भी लागू होती हैं।

*   *****

अनुबंध

"श्रम कल्याण योजनाओं के लिए धन" के संबंध में श्री अरविंद धर्मापुरी द्वारा दिनांक 16.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3295 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान तेलंगाना में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के तहत व्यय का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**खाते में भुगतान (ओएपी)***	**उपयोग/व्यय**	**ईएसआईसी द्वारा अस्पताल के संचालन में व्यय**
2019-20	215.92	211.33	282.38
2020-21	266.48	225.15	372.25
2021-22	348.95	225.15	479.41
2022-23	252.94	367.19	463.89
2023-24	251.80	313.41	428.97

स्रोत: कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) निगम

* राज्य कर्मचारी राज्य बीमा योजना को ओएपी के अंतर्गत भुगतान की गई निधियां, अत जिला-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान तेलंगाना राज्य में एबीआरवाई योजना के तहत व्यय का ब्यौरा

ज़िला	**लाभ की राशि (रुपये में)**			
	2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
आदिलाबाद	6,15,665	1,02,83,630	1,40,92,628	53,91,202
हैदराबाद	6,95,38,145	91,45,75,220	99,72,25,162	23,85,81,286
करीमनगर	25,82,187	3,57,30,423	3,90,76,528	1,09,05,432
खम्मम	30,01,343	3,22,32,727	4,27,24,189	1,52,70,652
महबूबनगर	30,37,348	5,03,79,456	5,80,77,387	1,57,50,828
मेडक	1,88,95,817	16,30,81,945	14,83,36,266	3,11,15,720
नलगोंडा	32,13,789	3,16,33,196	4,75,77,708	1,94,42,520
निजामाबाद	7,75,203	1,74,99,621	2,20,25,296	63,15,127
रंगा रेड्डी	2,96,00,093	35,95,57,619	37,65,34,051	9,03,33,402
वारंगल शहरी	22,71,769	3,30,30,298	3,82,29,482	1,24,34,902

स्रोत: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)

पिछले पांच वर्षों के दौरान तेलंगाना राज्य में पीएमजीकेवाई योजना के तहत व्यय का ब्यौरा

ज़िला	राशि (रुपये में)
आदिलाबाद	3,86,80,368
हैदराबाद	40,59,97,079
करीमनगर	6,92,80,356
खम्मम	3,52,38,492
महबूबनगर	4,39,17,547
मेडक	10,09,97,925
नलगोंडा	5,66,69,397
निजामाबाद	3,74,49,542
रंगारेड्डी	17,14,50,355
वारंगल	6,70,39,694

स्रोत: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)

पिछले पांच वर्षों के दौरान तेलंगाना राज्य में पीएमआरपीवाई योजना के तहत व्यय का ब्यौरा

			राशि रु में।
ज़िला	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
आदिलाबाद	92,94,590	45,86,206	11,67,195
हैदराबाद	1,09,99,69,185	42,00,97,828	8,95,41,864
करीमनगर	2,98,75,785	125,72,132	32,32,087
खम्मम	2,86,71,476	1,53,66,480	40,46,674
महबूबनगर	5,16,97,367	1,63,48,258	44,05,567
मेडक	8,46,22,218	3,56,46,421	80,73,489
नलगोंडा	2,69,54,378	1,39,76,255	32,95,592
निजामाबाद	9,64,15,242	2,29,96,819	1,07,24,384
रंगा रेड्डी	20,49,63,371	8,37,73,402	2,24,70,365
वारंगल शहरी	4,65,07,705	2,14,93,268	61,96,906

स्रोत: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3327
सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि और एनपीएस

3327. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का है, जैसाकि वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन के रूप में मात्र एक हजार रुपये का प्रावधान है;
(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि की जाएगी और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है;
(ग) सरकार के पास भविष्य निधि और पेंशन के रूप में जमा की गई ऐसी कुल राशि कितनी है जिस पर कर्मचारियों द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है;
(घ) क्या सरकार की योजना कर्मचारियों को वह राशि लौटाने की है;
(ड.) क्या सरकार का विचार भविष्य में पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता देने का है;
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(छ) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को एनपीएस के अंतर्गत शामिल करने संबंधी मानदंडों में ढील देने का है; और
(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक स्व-वित्तपोषित योजना है जिसमें नियोक्ता वेतन के @ 8.33 प्रतिशत और केंद्र सरकार द्वारा वेतन के 1.16 प्रतिशत का अंशदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान इस संचयी निधि में से किया जाता है। निधि का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और अतिरिक्त राहत का भुगतान तब किया जाता है यदि निधि से ऐसा करने की स्थिति हो। केंद्र सरकार ने व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए बजटीय सहायता प्रदान करके न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया है, हालांकि इस तरह के बजटीय समर्थन के लिए योजना में कोई प्रावधान नहीं है।

जारी..2/-

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में कोई भी बिना दावे वाले खाते नहीं है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(6) के अनुसार कतिपय खातों को निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार हैं और जब कभी ऐसा कोई सदस्य ईपीएफओ में दावा करता है तो जांच के बाद उसका निपटान किया जाता है।

दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि के तहत निष्क्रिय खातों में रखी कुल राशि 8,505.23 करोड़ रुपये है।

(घ): पिछले 3 वर्षों में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निष्क्रिय खातों के 7,576 करोड़ रुपए की राशि के सदस्यों के दावों का निपटान किया है।

(ड.) और (च): ईपीएस, 1995 के अंतर्गत कामगारों की मासिक पेंशन को जीवनयापन लागत सूचकांक के साथ जोड़ने की मांग पर ईपीएस, 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति द्वारा विचार किया गया था और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 जैसी स्व-वित्त पोषित योजना के मामले में इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया था।

(छ) और (ज): कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 16 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाला कोई भी प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) सहित प्रवृत्त किसी अन्य योजना का विकल्प चुन सकता है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3342
सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 / 25 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईपीएस-95 के अंतर्गत पेंशन

3342. श्री विजय बघेल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) माननीय उच्चतम न्यायालय के 4 नवम्बर, 2022 के उस आदेश को कार्यान्वित कर रहा है जिसमें ईपीएस-95 पेंशन गणना के लिए 15000 रुपये की वेतन सीमा को समाप्त कर दिया गया था और दुर्ग लोक सभा क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व कर्मचारियों से संबंधित मामलों के लिए अंतिम वेतन को आधार बनाया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, रायपुर कार्यालय ने इन कर्मचारियों से उनके पिछले वेतन के आधार पर अंतर राशि के रूप में 15 से 30 लाख रुपये वसूल कर लिए और लगभग एक माह बाद उक्त अंतर की राशि लौटाते हुए बाद में उनकी पेंशन देने से मना कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2019 के एसएलपी संख्या 8658-8659 में पारित दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के कार्यान्वयन में, ईपीएफओ द्वारा एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई थी, जिसमें आवेदकों द्वारा विकल्प/ संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए कुल 17.49 लाख आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए गए थे।

भिलाई इस्पात संयंत्र एक भविष्य निधि (पीएफ) से छूट प्राप्त प्रतिष्ठान है। इसलिए, इसके कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों की जांच पीएफ ट्रस्ट के नियमों को विचार में रखते हुए की जानी है और निर्णय लिया जाना है।

(ख) और (ग): आवेदकों से प्राप्त सभी गलत राशि ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा ब्याज सहित वापस कर दी गई है। आवेदक भिलाई इस्पात संयंत्र के पीएफ ट्रस्ट के सदस्य थे, जहां वेतन सीमा से अधिक पेंशन निधि में अंशदान की अनुमति नहीं थी। तदनुसार, पेंशन निधि में सदस्यों का अंशदान वेतन सीमा तक सीमित कर दिया गया था।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3369
सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना

3369. श्री गौरव गोगोई:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ईएलआई योजना के माध्यम से दो वर्षों के भीतर दो करोड़ नौकरियों के सृजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रूपरेखा का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन विशिष्ट क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनकी पहचान सरकार द्वारा ईएलआई योजनाओं के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में की गई है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है कि लक्षित क्षेत्रों के कामगारों के पास उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण उपलब्ध हो;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाएं ईएलआई योजना से लाभान्वित हों और कार्यबल में भागीदारी करें, सरकार द्वारा की जाने वाली संभावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि ईएलआई योजना के लाभ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों सहित देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंचें?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1,07,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ "प्रधानमंत्री रोजगार और कौशल पैकेज" के भाग के रूप में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है। यह योजना नियोक्ताओं और कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है और सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार नियुक्त कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित करती है।

जारी..2/-

भाग-क: इस योजना से 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलने की संभावना है।

भाग-ख: इस योजना से रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ होने की संभावना है।

भाग-ग: इस योजना से 50 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार का प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

यह योजना औपचारिक क्षेत्र के उन सभी प्रतिष्ठानों के लिए खुली है, जो योजना नामांकन अवधि के दौरान ईपीएफओ के साथ पंजीकृत हैं/पंजीकृत होंगे।

ईएलआई योजना एक महिला-पुरुष निरपेक्ष योजना है।

(ङ): मंत्रालय ने योजना के विषय में जानकारी देने और विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों पर प्रस्तावित योजना के प्रभावी डिजाइन पर सुझाव मांगने के लिए कई हितधारकों की बैठकें आयोजित की हैं। एक प्रभावी आउटरीच रणनीति की योजना बनाई गई है।

******

3004035/2025/PQ CELL

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3373
सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का संशोधन

3373. श्री डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो संगठित क्षेत्र में पात्र कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को विगत श्रम वर्षों के दौरान पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि कई यूनियनों द्वारा पेंशन बढ़ाने की मांग उठाई गई है और उनके द्वारा इस हेतु आंदोलन किया जा रहा है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु कोई समिति गठित की गई है अथवा गठित करने की योजना बनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995, एक 'परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ' सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कॉर्पस (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और (ii) 15,000/- रुपए प्रति माह तक के वेतन के लिए वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से बना है। ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत यथा अधिदेशित निधि का मूल्य निर्धारण वार्षिक रूप से किया जाता है।

जारी..2/-

सरकार ने, पहली बार वर्ष 2014 में, बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को प्रति माह 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी।

निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में प्रत्येक माह जिला स्तर पर एक मासिक पहल की जाती है जिसमें प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से हितधारकों को योजना के लाभों के बारे में बताया जाता है।

ईपीएफओ ने ईपीएस, 1995 के सदस्यों को सेवानिवृत्ति के दिन पीपीओ सौंपने के लक्ष्य से प्रयास नामक एक पहल भी शुरू की है। इस योजना के लाभों को आसानी से समझने के लिए यूट्यूब, एक्स और फेसबुक सहित सोशल मीडिया पर ऑडियो विजुअल माध्यमों से सूचनात्मक संदेश नियमित रूप से पोस्ट किए जाते हैं।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3374
सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 / 25 अग्रहायण, 1946 (शक)

चाय बागानों के मालिकों द्वारा ईपीएफ योगदान जमा न करना

3374. श्री मनोज तिग्गा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में चाय बागान कामगारो का एक बड़ा कर्मीबल है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत कितने कामगार पंजीकृत हैं;

(ग) क्या सरकार को, चाय बागान के मालिकों द्वारा कामगारों के वेतन से काट लिए गए उनके कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के जमा न होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) कामगारों का कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान जमा न करने वाली संस्थाओं और कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(च) ऐसे मामलों की जांच हेतु मौजूद तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(छ) पीड़ित कामगारों को किस प्रकार राहत प्रदान किया जाने की संभावना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ पंजीकृत चाय बागान कामगारों की संख्या नीचे दी गई है:

प्रतिष्ठान की संख्या	**कर्मचारियों की संख्या**
940	6,79,230

जारी..2/-

(ग) और (घ): अंशदान जमा न कराने के संबंध में प्रतिष्ठानों के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों में की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है:

धारा 7 ए के तहत किया गया मूल्यांकन	**दर्ज अभियोजन मामले**	**आईपीसी की धारा 406/409 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी**
45	11	33

(ङ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं की विभिन्न धाराओं के प्रावधानों के अनुसार कामगारों का ईपीएफ अंशदान जमा न करने वाली संस्थाओं एवं कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(च): ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम की धारा 13 के तहत नियुक्त निरीक्षक (प्रवर्तन अधिकारी) मामलों की जांच करता है और यदि चूक पाई जाती है, तो अधिनियम की प्रयोज्यता या बकाया राशि के आकलन, जैसा भी मामला हो, के बारे में निर्णय लेने के लिए धारा 7क के तहत जांच शुरू की जाती है।

(छ): ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चूक की स्थिति में जब नियोक्ता से वसूला जाता है तो कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभ का देय हिस्सा सदस्यों के खाते में जमा कर दिया जाता है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3375
सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईपीएस, 1995

3375. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:;

(क) ईपीएस, 95 पेंशनभोगियों को पेंशन देने की नीति और मानदंड क्या है और क्या इन्हें संशोधित करने का कोई निर्णय लिया गया है;
(ख) क्या सरकार द्वारा देश में ईपीएस, 95 पेंशनभोगियों के मामलों की कोई जांच अथवा समीक्षा की गई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कुल कितने मामले हैं;
(घ) ईपीएस,95 पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन कब से जारी किए जाने की संभावना है और देश के सभी राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इससे कितने पेंशनभोगियों के लाभान्वित होने की संभावना है; और
(ङ) स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में संशोधित ईपीएस-95 योजना के लाभार्थियों को दिए जाने वाले अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड.) ईपीएस 95 आकस्मिकताओं के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए व्यापक लाभ प्रदान करती है, जो सदस्यों और उनके परिवारों की वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा संरक्षण सुनिश्चित करता है।

एक ईपीएस का सदस्य निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने पर ईपीएस के तहत सेवानिवृत्ति के लिए पात्र हो जाता है:

(i) न्यूनतम 10 वर्ष की पात्र सेवा; और
(ii) 58 वर्ष की आयु होने पर।

58 वर्ष पूरा करने से पहले रोजगार की समाप्ति पर, एक सदस्य प्रारंभिक पेंशन का विकल्प चुन सकता है। ऐसी प्रारंभिक पेंशन का लाभ 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही लिया जा सकता है, बशर्ते पेंशन को 58 वर्ष से कम होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए 4% की दर से कम किया जाता है।

तथापि, कम से कम एक माह के अंशदान वाले सदस्य की अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले में पेंशन पात्रता के लिए ऐसा कोई आयु अथवा न्यूनतम पात्रता सेवा मानदंड लागू नहीं होगा।

केंद्र सरकार सदस्य/विकलांग सदस्य/विधवा/नामिती/आश्रित माता-पिता पेंशनभोगियों को 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है; अनाथ पेंशनरों के लिए 750/रुपये प्रति माह और बच्चों के लिए 250/-रुपये प्रति माह की पेंशन 01.09.2014 से प्रभावी है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3410
सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

समय पर पेंशन भुगतान के आदेश के मामले

3410. श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्त होने और अपने गृह नगर में बसने पर समय पर पेंशन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पेंशन फाइल को एक पीएफ कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने में समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त स्थिति में सुधार लाने और समय पर पेंशन जारी करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस हेतु कोई नई प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इससे पेंशनभोगियों को मिलने वाले लाभ सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): सभी पेंशन मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां सेवानिवृत्त सदस्य किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं।

(ख) से (घ): एक केन्द्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) अनुमोदित की गई है जिसमें पेंशन को पेंशनभोगी के बैंक खाते में सीधे जमा करने का प्रावधान है और इसमें उसके सेवानिवृत्त होने के क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

*****

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2486

(जिसका उत्तर मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024/26 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

'आत्मनिर्भर भारत अभियान'

2486. श्री गोला बाबूरावः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोविड़-**19** के उपरांत आर्थिक सुधारों में सहायक आत्मनिर्भर भारत अभियान की क्या उपलब्धियां रही हैं;
(ख) इस पहल से किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों को सर्वाधिक लाभ हुआ है; और
(ग) प्रमुख उद्योगों में आत्मनिर्भरता के लिए और अधिक सहायता प्रदान करने हेतु भावी योजनाएं क्या हैं**?**

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

क) से (ग): भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने, विभिन्न क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से क्रमशः 13 मई, 2020 से 17 मई, 2020, 12 अक्टूबर, 2020 और 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत 1.0, 2.0 और 3.0 की घोषणा थी। ये आत्मनिर्भर और समुत्थानशील अर्थव्यवस्था की नींव रखने और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु अधिकांशतः दीर्घकालिक उपाय हैं। इस पैकेज की कुछ प्रमुख उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक** में है। सरकार सभी कारकों पर समग्र दृष्टिकोण रखने के बाद अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर विचार करती है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न नीतियां और योजनाएं तैयार करती है।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2486 के (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की गई घोषणाओं की कुछ प्रमुख उपलब्धियां:

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित व्यवसायों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत दिनांक 31.03.2023 को योजना के बंद होने तक 3.68 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी की गई हैं, जिससे 119.5 लाख उधारकर्ता लाभान्वित हुए हैं। दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण प्रदान करने के लिए, दिनांक 31.03.2023 तक एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को 157 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई में इक्विटी निवेश के लिए 53 डॉटर फंड को एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (मदर फंड) के साथ सूचीबद्ध किया गया है। इन डॉटर फंड ने इन एमएसएमई में 8,353 करोड़ रुपये का निवेश करके 450 संभावनाशील एमएसएमई की सहायता की है।

2. विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के माध्यम से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) / हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी)/माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) की नकदी स्थिति में सुधार करने के लिए विशेष नकदी योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत, दिनांक 30.09.2020 को समापन तक 7,227 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

3. एनबीएफसी/एमएफआई की देनदारियों के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई द्वारा जारी एए और उससे कम रेटिंग वाले बांड या वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) की खरीद के लिए पोर्टफोलियो गारंटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। पीएसबी ने दिनांक 31.12.2020 को समापन तक 4,443 करोड़ रुपये की गारंटी निहितार्थ के साथ योजना के तहत 22,217 करोड़ रुपये के बांड/सीपी का पोर्टफोलियो खरीदा था।

4. मार्च, 2020 में पूर्व में घोषित 3 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अलावा, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत नवंबर, 2020 में 10 क्षेत्रों में पीएलआई योजनाएं शुरू कीं। सितंबर, 2021 में एक और क्षेत्र जोड़ा गया। पीएलआई योजना के तहत सभी क्षेत्रों में 1.97 लाख करोड़ रुपये का एक परिव्यय निर्धारित किया गया हैं। अगस्त 2024 तक 14 क्षेत्रों में 1.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वास्तविक निवेश और 12.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन/बिक्री दर्ज की गई है। इससे 9.5 लाख से अधिक रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) सृजित हुए हैं।

5. सामाजिक अवसंरचना में पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024-25 तक व्यवहार्यता अंतराल निधियन में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को वित्तीय सहायता के लिए इस योजना को जारी रखने तथा नवीकृत करने हेतु 8,100 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है।

6. आईडीईए योजना के अंतर्गत लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

7. विभिन्न कर दरों में कमी और कर संबंधी अनुपालनों की नियत तारीखों को बढ़ाकर करदाताओं को तत्काल राहत प्रदान की गई।

8. पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए 27 राज्य सरकारों को 12,000 करोड़ रुपये की एक विशेष ब्याज-मुक्त 50 वर्षीय ऋण योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया।

9. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2.0 लाख करोड़ रुपये का रियायती ऋण दिया गया।

10. फार्म-गेट और एकत्रीकरण बिंदुओं (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस), किसान उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यमियों, स्टार्ट-अप, आदि) पर कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 9591 पीएसीएस हेतु 2,974 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त, पीएसीएस के अलावा अन्य संस्थाओं के लिए 47,590 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

11. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में, वर्ष 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात सहित 1.27 लाख करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन हासिल किया गया है। रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। सरकारी आयुध कारखानों का निगमीकरण पूरा हो गया है और 7 नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम चालू हो गए हैं।

12. विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए लिक्विडिटी इन्फ्यूजन पैकेज शुरू किया गया था, जिसमें 1.33 लाख करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए हैं और 1.12 लाख करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

13. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में, लगभग 8 करोड़ असहाय प्रवासियों, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्य योजना पीडीएस कार्ड के तहत कवर नहीं किये गये थे, कोविड-19 की स्थिति के दौरान दो महीने (मई और जून, 2020) के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम की दर से निशुल्क खाद्यान्न लाभान्वित करने के लिए 8 लाख मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न आवंटित किया गया था।

14. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत जारी राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के उद्देश्य से वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना लागू की गई है। ओएनओआरसी योजना अब देश भर में चालू है जिसमें लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया है।

15. शिशु मुद्रा ऋणी के लिए 12 महीने के लिए 2% ब्याज संबंधी सरकारी आर्थिक सहायता (सबवेंशन) के लिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों को दिनांक 29.07.2022 को इसके प्रचालन तक पात्र उधारकर्ताओं के ऋण खातों में ऑनवर्ड क्रेडिट के लिए 677 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

16. पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) को शुरू करने का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण देकर उनका आर्थिक उत्थान करना था। इस योजना के माध्यम से, 67.54 लाख स्ट्रीट वेंडरों को 13,458 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

17. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के विस्तार के माध्यम से आवास क्षेत्र को सुलभ बनाने के लिए, जून 2024 तक 25 लाख लाभार्थियों/परिवारों को लाभान्वित करते हुए 58,868 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

18. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए 13,343 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है। फुट एंड माउथ डिजीज के लिए 52 करोड़ से अधिक और ब्रुसेला के लिए 2.69 करोड़ से अधिक जानवरों का टीकाकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) के तहत, वैयक्तिक उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और धारा 8 कंपनियों को 7,740 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की गई थी और इससे लगभग 15 लाख किसान लाभान्वित हुए है।

19. क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना - यूडीएएन के तहत नागर विमानन क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। 14 हवाई अड्डे वर्तमान में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत प्रचालित हैं।

20. वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा को 3% से बढ़ाकर 5% करके उन्हें 3.2 लाख करोड़ रुपये की कुल उधार अनुमति जारी की गई।

21. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया था और विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से लागू किया गया था। दिनांक 31.03.2024 तक एबीआरवाई के तहत 1.53 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 60.49 लाख लाभार्थियों को 10,188 करोड़ रुपये का कुल लाभ दिया गया है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2797
गुरूवार, 19 दिसम्बर, 2024 / 28 अग्रहायण, 1946 (शक)

निष्क्रिय ईपीएफओ खाते

2797. श्री साकेत गोखले:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कुल कितने खाते आज की तारीख तक निष्क्रिय पड़े हैं; और

(ख) वर्तमान में ऐसे कुल कितने ईपीएफओ खाते हैं जिनमें शेष राशि शून्य है यानि खाता शेष 0 रुपये है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में कोई निष्क्रिय खाता नहीं है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(6) के अनुसार कतिपय खातों को अप्रवर्ती खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ऐसे सभी अप्रवर्ती खातों के निश्चित दावेदार हैं और जब कभी कोई सदस्य ईपीएफओ में दावा दायर करता है तो जांच के बाद उसका निपटान किया जाता है।

दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अप्रवर्ती खातों की कुल संख्या 21,55,387 है।

(ख): शून्य राशि वाले सदस्य खाते प्राथमिक रूप से वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाए/अंतरित किए जाते हैं, जिन्हें बाद के वर्षों में अग्रेनीत नहीं किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए क्लोजिंग बैलेंस के रूप में शून्य राशि वाले खातों की संख्या 1,32,40,542 है।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2813

गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2024/28 अग्रहायण, 1946 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

2813. श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) का विभिन्न राज्यों में रोजगार दरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) नवम्बर, 2024 तक इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या को दर्शाने वाले राज्य-वार और वर्ष-वार आंकड़े क्या है;

(ग) इस योजना के कारण किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों में सर्वाधिक रोजगार वृद्धि हुई है; और

(घ) कम लाभार्थियों वाले राज्यों में एबीआरवाई की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः स्थापन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के तहत, दिनांक 31.03.2022 तक पंजीकृत लाभार्थियों को पंजीकरण की तारीख से 2 साल तक लाभ मिलता रहा। दिनांक 31.03.2024 तक, देश में कुल 60.49 लाख कर्मचारियों ने इस योजना का लाभ उठाया है।

31 मार्च, 2024 तक अर्थात योजना के बंद होने तक योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला राज्य-वार और वर्षवार डेटा अनुबंध में दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत विशेषज्ञ सेवाएं, वस्त्र, व्यापार-वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, इंजीनियर-इंजीनियिरिंग ठेकेदार और गारमेंट मेंकिंग क्षेत्रों ने सर्वाधिक लाभार्थियों की संख्या दर्ज की है।

****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 19.12.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2813 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 मार्च, 2024 तक अर्थात योजना के बंद होने तक योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला राज्य-वार और वर्षवार डेटा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	2020-21 से 2023-24	
	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	36	479
आंध्र प्रदेश	4041	166930
अरुणाचल प्रदेश	17	514
असम	671	19918
बिहार	1215	28576
चंडीगढ़	340	13474
छत्तीसगढ	2952	85105
दिल्ली	3140	227076
गोवा	542	20948
गुजरात	14620	591126
हरियाणा	7644	400760
हिमाचल प्रदेश	2164	83382
जम्मू और कश्मीर	891	19384
झारखंड	2248	62776
कर्नाटक	11004	485462
केरल	2730	96343
लद्दाख	17	190
लक्षद्वीप	1	9
मध्य प्रदेश	6258	205901
महाराष्ट्र	22449	978836
मणिपुर	59	1698
मेघालय	39	1224
मिजोरम	15	377
नागालैंड	16	226
ओडिशा	4196	89360
पुदुचेरी	319	14746
पंजाब	7794	222363
राजस्थान	11483	326998
सिक्किम	114	4008
तमिलनाडु	16450	804738
तेलंगाना	5394	283362
दादरा और नगर हवेली तथा दमन	959	52911
त्रिपुरा	150	5440
उत्तर प्रदेश	12413	433724
उत्तराखंड	2426	93521
पश्चिम बंगाल	7710	227402
सकल योग	**152517**	**6049287**

स्रोत: ईपीएफओ

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2814
गुरूवार, 19 दिसम्बर, 2024 / 28 अग्रहायण, 1946 (शक)

श्रम संहिता का कार्यान्वयन

2814. श्री संजय सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान कामगारों के लिए शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत दर्ज किए गए और निपटाए गए मामलों की प्रतिशतता के आंकड़ों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों ने श्रम संहिता के कार्यान्वयन में सबसे कम प्रगति की है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान श्रमिक कल्याण योजनाओं के लिए आवंटित और व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): समाधान पोर्टल कामगारों, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं द्वारा औद्योगिक विवादों, दावों और सामान्य शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच है। औद्योगिक विवादों की संख्या, विभिन्न अधिनियमों यथा उपदान संदाय अधिनियम, 1972, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अंतर्गत दावों और समाधान पोर्टल पर प्राप्त और निपटाई गई सामान्य शिकायतों का क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

कामगारों सहित व्यक्ति विशेष सीपीजीआरएएम पोर्टल के माध्यम से भी अपनी शिकायत/परिवाद दर्ज कर सकते हैं। सीपीजीआरएएम पर प्राप्त और निपटाई गई राज्य-वार शिकायतें अनुबंध-2 में दी गई हैं। कैलेंडर वर्ष 2024 में निपटान का प्रतिशत 96.5% है।

(ख): एक विषय के रूप में "श्रम" भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है और इन संहिताओं के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी सौंपी गई है। केंद्र सरकार ने चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम के रूप में मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है।

जारी–2/

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 32, 31, 31 और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने क्रमशः मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 के तहत मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है।

(ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। लागू की जा रही प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं: (i) बीड़ी/सिने/गैर-कोयला खान कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस) जिसमें तीन घटक शामिल हैं अर्थात स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति और आवास; (ii) कोविड-19 महामारी के दौरान नए रोजगार के सृजन और रोजगार के नुकसान के पुनर्स्थापन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई); (iii) आदर्श आजीविका केन्द्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय आजीविका सेवा (एनसीएस); (iv) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम), एक स्वैच्छिक अंशदायी योजना है जिसमें वृद्धावस्था पेंशन के लिए भारत सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान किया गया है; (v) बंधुआ मजदूरों की पहचान और पुनर्वास के लिए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास (आरबीएलएस) और इन योजनाओं पर किया गया व्यय निम्नानुसार है -

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	पीएम-एसवाईएम	एलडब्ल्यूएस	एनसीएस	*एबीआरवाई	**आरबीएलएस
2020-21	319.71	53.66	43.80	351.08	–
2021-22	324.23	86.25	24.30	4046.44	2.0473
2022-23	269.91	64.21	43.99	4593.08	0.594
2023-24	162.51	80.79	46.90	1197.89	0.568
2024-25 (दिनांक 15.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार)	95.18	81.31	24.25	–	0.006

* एबीआरवाई योजना को दिनांक 31.03.2024 से समाप्त कर दिया गया है।

** आरबीएलएस योजना एक मांग आधारित योजना है।

**

******

3004035/2025/PQ CELL

अनुबंध-1

"श्रम संहिता का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री संजय सिंह द्वारा दिनांक 19.12.2024 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2814 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

समाधान पोर्टल: 2024-25 के लिए क्षेत्रवार डेटा (दिनांक 30.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	क्षेत्र	औद्योगिक विवाद (बर्खास्तगी सहित)		दावे (विभिन्न अधिनियमों के तहत पीजी, एमडब्ल्यू, एमबी, ईआर, पीडब्ल्यू)		सामान्य शिकायतें	
		प्राप्त	निपटाए गए	प्राप्त	निपटाए गए	प्राप्त	निपटाए गए
1	अहमदाबाद	694	439	571	337	472	408
2	अजमेर	612	416	649	422	412	316
3	आसनसोल	206	81	154	77	110	88
4	बैंगलोर	594	302	1057	511	426	289
5	भुबनेश्वर	426	205	381	185	221	101
6	चंडीगढ़	930	711	1604	808	716	572
7	चेन्नई	543	339	1178	417	405	158
8	कोचीन	711	510	479	180	230	132
9	देहरादून	565	490	1318	491	646	388
10	दिल्ली	1862	1051	1992	558	868	422
11	धनबाद	410	218	1078	441	286	133
12	गुवाहाटी	90	56	168	86	98	37
13	हैदराबाद	680	374	2277	557	590	384
14	जबलपुर	564	400	2626	1891	710	303
15	कानपुर	800	601	762	307	544	278
16	कोलकाता	482	267	707	313	267	184
17	मुंबई	430	293	2424	707	780	341
18	नागपुर	459	51	752	139	415	41
19	पटना	347	244	693	165	295	236
20	रायपुर	353	214	405	223	234	118
	कुल	**11758**	**7262**	**21275**	**8815**	**8725**	**4929**

* प्राप्त और लंबित मामलों में पिछले वित्त वर्ष से अग्रेनीत मामले + वर्तमान वित्त वर्ष में प्राप्त/लंबित मामले शामिल हैं

- पीजी : उपदान संदाय अधिनियम, 1972
- एमडब्ल्यू : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- एमबी : प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- ईआर : समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- पी.डब्ल्यू: मजदूरी संदाय अधिनियम,1936

अनुबंध-II

"श्रम संहिता का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री संजय सिंह द्वारा दिनांक 19.12.2024 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2814 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य-वार लोक शिकायतों का ब्यौरा		
राज्य का नाम	**कुल प्राप्त**	**निपटाया गया**
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	93	93
आंध्र प्रदेश	4223	4057
अरुणाचल प्रदेश	77	73
असम	2023	1950
बिहार	6725	6508
चंडीगढ़	427	414
छत्तीसगढ़	2656	2580
दादरा और नागर हवेली तथा दमन व दीव	79	74
दमन व दीव	7	7
दिल्ली	12182	11818
गोवा	281	267
गुजरात	6324	6094
हरियाणा	8779	8522
हिमाचल प्रदेश	1065	1038
जम्मू और कश्मीर	827	806
झारखण्ड	3867	3767
कर्नाटक	11166	10683
केरल	1753	1674
लद्दाख	16	14
लक्षद्वीप	17	15
मध्य प्रदेश	8825	8535
महाराष्ट्र	26295	25184
मणिपुर	132	131
मेघालय	51	50
मिजोरम	7	7
नागालैंड	23	22
ओडिशा	5864	5718
पुदुचेरी	152	146
पंजाब	4875	4733
राजस्थान	5497	5329
सिक्किम	38	38
तमिलनाडु	8922	8551
तेलंगाना	4905	4723
त्रिपुरा	190	180
उत्तर प्रदेश	23168	22413
उत्तराखंड	2039	1972
पश्चिम बंगाल	13065	12629
कुल	**166635**	**160815**